न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 10/2020

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
शम्भूसिंह द्वितीय, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर।		जिला कलेक्टर, जालोर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर जालोर के आदेश क्रमांक वि0का0/06/स्था/2019/2586 दिनांक 15.03.2020 को पारित आदेष जिसके द्वारा अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं एवं उनकी ओर से पैरोकारी हेतु श्री महेन्द्रसिंह, का0 अधीक्षक, उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार आज उपस्थित नहीं हुए।

निर्णय

दिनांकः अगस्त, 2021

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रेषित यह अपील जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2020 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा को दिनांक 26.05.2020 को प्राप्त हुई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जालोर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। जिस पर दोनों पक्षकार दिनांक 22.0.9.2020 को उपस्थित हुए।
3. तत्पश्चात दिनांक 10.08.2021 को अपीलान्ट, उनके पैरोकार को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट की ओर से दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय जालोर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के उपखण्ड अधिकारी, सायला कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के दौरान पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर कार्यालय जाालोर के पत्रांक 5837 दिनांक 16.12.2019 के द्वारा यह आरोप आरोपित किया किः––

आरोप पत्र संख्या–1

यह कि आप वर्ष 2016 में कार्यालय लोक अभियोजक जालोर में लिपिक ग्रेड–1 के पद पर कार्यरत रहते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक कार्य व्यवस्था/स्था/2016/ 2976–80 दिनांक 4.9.2016 के द्वारा आपकी प्रतिनियुक्ति राजस्व लोक अदालत 2016 से सम्बन्धित कार्य सम्पादन हेतु तहसील कार्यालय सायला में की गई थी। उपखण्ड अधिकारी सायला के आदेश राज/लोक

अदा/15/159 दिनांक 6.5.2016 के द्वारा आपकी प्रतिनियुक्ति उपखण्ड अधिकारी सायला में की गई। उस दरम्यान प्रार्थीगण/अपीलान्टस चौपूकंवर वगैराह की ओर से उपखण्ड न्यायालय के निर्णित नामा0 अपील संख्या 5/2013 चौपूकंवर वगैराह बनाम वेलाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 20.6.16 बाबत यह प्रार्थना पत्र धारा 86 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर साराशतः निवेदन किया गया कि उक्त विचाराधीन अपील को राजस्व लोक अदालत कैम्प भूण्डवा मं इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.6.2016 स्वीकार कर अपीलाधीन ग्राम भूण्डवा का फौतेदगी नामा0 संख्या 286 दिनांक 14.8.75 को खारिज कर मृतक चिमनसिंह पुत्र मेघसिंह के समस्त वारिशान की जॉच कर नियमानुसार पुनः नामा0 पारित करने हेतु तहसीलदार सायला को रिमाण्ड किया गया था परन्तु प्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 20.6.16 की नकल प्राप्त करने पर पाया गया कि उक्त निर्णय हस्ताक्षरित हो जाने के पश्चात निर्णय/आदेश के पैरा 4 व 5 के बीच आप श्री शम्भूसिंह रीडर द्वारा रेसपो0 संख्या 1 व 2 से मेल मिलावट कर उनको फायदा पहुंचाने एवं उनके विरूद्ध उक्त निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिये पैरा संख्या 4 व 5 के बीच एक ईबारत/ लाईन ''परन्तु बेचान हुई भूमि को छोडकर स्वेच्छा से अदालत की जानकारी व सहमति बगैर दर्ज कर दी गई है।

प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र पर प्राप्त जानकारी पर उपखण्ड अधिकारी सायला ने मूल पत्रावली तलब कर उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.6.16 का अवलोकन किया तो पाया कि उनके द्वारा मजमें आम में निर्णय हस्ताक्षरित हो जाने के पश्चात रीडर द्वारा हमारी जानकारी व सहमति बिना आदेश के पैरा 4 व 5 के बीचान आदेश को निष्प्रभावी बनाकर कथित ईबारत/लाईन ''परन्त बेचान हुई भूमि को छोडकर' दर्ज कर दी गई है। तदनुसार आपने अपने राजकीय दायित्व एवं कर्तव्य पालन घोर लापरवाही बरती है जिसके लिये आप दोषी है।

4. अपीलान्ट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा जारी आरोप पत्रों का अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 04.02.2020 को लिखित जवाब पेश किया तथा आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया जिस पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत प्रकरण की विस्तृत विभागीय जॉच करने हेतु दिनांक 20.7.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सायला को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.12.2019 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की उक्त जॉच रिपोर्ट में भी जॉच अधिकारी के द्वारा मुझ अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को सही होना मान लिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आरोप को प्रमाणित होने के आधार अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अनुशासनिक कार्यवाही से पूर्व मुझ आरोपी को अपने पूर्व कार्यालय अध्यक्ष तत0 उपखण्ड अधिकारी सायला व विभागाध्यक्ष जिला कलेक्टर जालोर द्वारा इस बाबत एक भी कारण बताओं नोटिस नहीं दिया एवं प्राथमिक जॉच अधिकारी ने भी जॉच प्रेषित करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया अतः इस बिनाय पर जॉच एवं तत्पश्चात जारी ज्ञापन आरोप पत्र भी एकतरफा जारी किये गये है। जॉच अधिकारी की जॉच की प्रति भी मुझ अपीलान्ट को नहीं दी गई और न ही स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही जारी ज्ञापन/आरोप विवरण की प्रति मुझ अपीलान्ट को नहीं दी गई। जबकि अनुशासनिक कार्यवाही में

दूसरे पक्ष को सुना जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त में आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आरोप पत्र का मुख्य आधार जो बताया है उसमें दर्शाई शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी पर लिये प्रस्ताव जो उपखण्ड अधिकारी सायला के पत्रांक 254 दिनांक 12.7.16 पर प्राथ0 जॉच/अनु0 कार्यवाही प्रारम्भ की गई, को किसने व कब प्रस्तुत की, का कहीं उल्लेख नहीं है और न उसे रिकार्ड पर लिया गया। उक्त शिकायतकर्ता का पक्ष/बयान भी नहीं लिये गये और न ही शिकायत की प्रति मुझ अपीलान्ट को दी। मेरे द्वारा सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं प्राप्त कर अपना जबाब पेश किया था। ऐसे में जारी ज्ञापन/आरोप पत्र अस्पष्ट व अपूर्ण है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि यह है कि अपीलान्ट के द्वारा अनु ाासनिक अधिकारी महोदय के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में भी तथाकित आरोपों को अस्वीकार किया गया। पत्रावली कि आदे ाका दिनांक 12.03.2020 में अनुशासनिक प्राधिकारी महोदय द्वारा अभिलिखित किया "Applicant appeared in person today and presented his case. I am satisfied with the enquiry report stop 3 increment with cumulative effect" अर्थात उक्तानुसार भी मुझ आरोपी द्वारा आरोप की स्वीकारोक्ति रिकॉर्डेड प्रमाणित नहीं है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अपने पत्रांक/कोर्ट/16/254 दिनांक 12.07.2016 से म्यूटेशन अपील संख्या 5/2013 चोंपू कंवर बनाम वेलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2016 में तथाकित लाईन जोडने का मुझ अपीलाण्ट पर आरोप लगाते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर को लिखा गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने अभिमत से आदेश क्रमांक/प्रा.जा/स्था/2016 /4676 दिनाक 20.07.2016 से मुझ आरोपी की भूमिका के संदर्भ में मामले में प्राथमिक जांच करवाने का निर्णय लिया एवं इसी आदेश से प्राथमिक जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी सायला को नियुक्त किया। जिसकी सूचना मुझ आरोपी को नही दी गयी। प्राथमिक जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच में यह माना कि रीडर यानी अपीलान्ट द्वारा अपनी स्वेच्छा से कोई ईबारत अथवा वाक्य को पीठासीन अधिकारी के अभाव में नहीं जोडा गया है। इसके अलावा भी उपखण्ड अधिकारी सायला द्वारा अपने पत्रांक 125 दिनांक 30.10.2017 द्वारा भी अपनी टिप्पणी प्रेषित की कि तत0 उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदिनांक तक कोई पक्ष प्रस्तत नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार ही आदेश में कोई ईबारत अथवा वाक्य लिखा गया है। श्री शम्भूसिंह द्वारा अपनी स्वेच्छा से आदेश में कोई ईबारत अथवा वाक्य नहीं जोडा जो पीठासीन अधिकारी की जानकारी में न हो। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सायला की उक्त रिपोर्ट अनुसार मुझ अपीलान्ट की ओर से अपनी मर्जी से उस आदेश में की गई ईबारत/वाक्य को नहीं जोडा गया था, वो तत0 पीठासीन अधिकारी की जानकारी में लाकर ही जोडा था।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया उक्त जॉच रिपोर्ट पर संस्थापन कार्मिक ने प्रभारी अधिकारी एडीएम जालोर के समक्ष पेष की, जिस पर उन्होंने स्वयं के स्तर पर ही निर्णय लेकर उपखण्ड अधिकारी सायला से पुनः जॉच रिपोर्ट मंगवाई जावे और अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष भी नहीं रखा। ऐसे में एक जॉच रिपोर्ट जो रिकार्ड पर है, उस सम्बन्ध में पुनः दुबारा जॉच करवाने व दण्डादेश दिया जाना विधि विरूद्ध ही है। पूर्व की प्राथमिक जॉच में की गई अनुशंसा को रिकार्ड पर/ अपीलाधीन निर्णय में नहीं लिया गया और न ही विभागीय जॉच में सीसीए नियम 16(4) का पालन किया क्योंकि जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच प्रक्रिया में भी पूर्णरूपेण पारदर्शिता नहीं बरती और उस आधार पर किसी भी कालावधि के लिये संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियॉ रोकी जाना भी न्यायोचित नहीं होता है।

8. अपीलान्ट ने अन्त में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को न्यायालय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया की जानकारी भी अल्प अवधि की रही थी और कभी उसके द्वारा

उससे पूर्व में ऐसे कार्य नहीं किये गये थे। जानकारी के अभाव में तत0 उपखण्ड अधिकारी के द्वारा आदेश लिखे जाने के उपरान्त उनके द्वारा अवलोकन करने पर उनके द्वारा यह कहने की मैने बेचान की हुई भूमि को छोडने का कहा था, इस वाक्य को आपने जानबूझकर छोडा है जो अन्य स्थान पर लिखने योग्य नहीं रहने से पीठासीन अधिकारी के कथनानुसार मेरे द्वारा पैरा संख्या 4 के अन्त में ''परन्तु बेचान हुई भूमि को छोडकर'' वाक्य जोडा गया तत्पश्चात ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर हस्ताक्षर किये गये थे।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सीसीए नियम 16 के तहत दिये गये प्रावधानों तथा अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है, तत0 उपखण्ड अधिकारी सायला के द्वारा राजस्व अपील संख्या 05/2013 चौपूकंवर वगैराह बनाम वेलाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 20.6.2016 के अन्तिम पैरा में कथित ईबारत/लाईन ''परन्तु बेचान हुई भूमि को छोडकर'' के कृत्य में उक्त लाईन को मेरे द्वारा ही जोडे जाने का मान लिया जाकर केवल मात्र अपीलान्ट को ही पूर्णतया दोषी मान लिया जाना कहां तक न्यायोचित है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तत0 पीठासीन अधिकारी की भूमिका होने/नहीं होने सम्बन्धी कोई जवाब उनसे नहीं लिया गया है और न ही उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त राजस्व अपील में पारित निर्णय दिनांक 20.6.2016 को उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त भी कर दिया जाना ज्ञात हुआ है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2020 को निरस्त किया जावे अपीलान्ट की रोकी गई संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धियों को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

10. अपीलान्ट की अपील पर प्राप्त जिला कलेक्टर जालोर की टिप्पणी का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण की प्राथमिक जॉच एवं सीसीए नियम 16 के तहत विस्तृत जॉच सम्पादित करवाई गई एवं अपीलान्ट को समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही व व्यक्तिगत सुनवाई इत्यादि पूर्ण प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात विधि अनुसार पारित किये जाने का कथन किया एवं उसे उचित ठहराते हुए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11.

हमने अपीलान्ट उनके पैरोकार द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों तथा जिला कलेक्टर

जालोर द्वारा प्रेषित टिप्पणी इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व आरोप एवं उसके सम्बन्ध में अपीलान्ट के जवाब का न तो कोई तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना पाया जाता है और न ही अपीलान्ट के प्रत्युतर पर राजस्व अपील संख्या 05/2013 चौपूकंवर वगैराह बनाम वेलाराम वगैराह में पारित निर्णय के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी (तत0 उपखण्ड अधिकारी) से कोई प्रत्युतर/स्पष्टीकरण जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। अपीलान्ट के न्यायालय कार्य की जानकारी भी अल्प अवधि की होना प्रतीत होता है।

12. इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्राथमिक जॉच करवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी सायला (जॉच अधिकारी) के द्वारा जॉच रिपोर्ट में ''रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी के मौखिक आदेश दिये जाने पर ही लिखने का कार्य किया गया है इसमें रीडर द्वारा अपनी स्वेच्छा से कोई इबारत अथवा वाक्य को पीठासीन अधिकारी की जानकारी के अभाव में नहीं जोडा गया है, बताया था तथा दुबारा जॉच रिपोर्ट तलब किये जाने पर भी जॉच अधिकारी के द्वारा उसी रिपोर्ट को सही मानते हुए अपीलान्ट शम्भूसिंह के विरूद्ध प्राथमिक जॉच की कार्यवाही पत्रादित किये जाने की अभिशंषा की गई है। उस रिपोर्ट को उचित नहीं मानने या सही नहीं होने का कोई आधार नहीं दर्शाया गया प्रकट होता है। उपखण्ड अधिकारी, सायला के उक्त राजस्व अपील में पारित निर्णय के पश्चात रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 21.7.16 को उक्त लिखी गई ईबारत/लाईन को हटाने यानि डिलेट किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। उक्त राजस्व अपील संख्या 05/2013 के विरूद्ध अपील अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर में होने पर उक्त दिनांक 20.6.16 के पारित आदेश को निरस्त करते रिमाण्ड किया गया है। ऐसे में उक्त आदेश दिनांक 20.06.2016 से किसी पक्ष विशेष को फायदा हुआ हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है।

13. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा विभागीय जॉच रिपोर्ट को ही अन्तिम मानते हुए उसके आधार पर ही अपीलान्ट को दण्डित किया जाना प्रतीत होता है। जिला कलेक्टर को चाहिये था कि वे प्रकरण में ज्यूडिसियल ऑफिसर के रूप में निर्णयात्मक विवेचना करते हुए स्पीकिंग यानि विस्तृत आदेश जारी करते जो कि अपीलाधीन आदेश में अभाव पाया गया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा जो दिनांक 15.03.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने व उसके उपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु जिला कलेक्टर जालोर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

14. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलेक्टर जालोर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपील प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों के मध्यनजर सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार एवं समस्त पहलुओं पर परीक्षण करने करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर